

20 पमावली आर एड. पमा विद्यापीठ साहसु कस्य
दावा दर्त रोजवत्य र्ण अलिठ की लपकी र्दर
सम्मर आरी र्दर 30.9.2020 की फेर र्ण

17 1/20

पमावली काठ वकीठ जामी की जामना फा बावव
शीठ कुवारी पा फेर वकीठ जामी उपठ र्ण
वकीठ जामी की पुठा गय्य तहरीर आरी र्ण
वार्ता प्रमुठ शीठ कुवारी जठ फा शाबिठ
मिसर र्ण पमावली ती लपकी र्दर सम्मर
आरी र्दर 27.9.20 की फेर र्ण

27 1/20

पमावली फेर वकीठ वादी उपठ र्ण वार्ता कचगा
30.9.20 की फेर र्ण

30.9.20

पमावली फेर कान्त.समाठ र्ण पमावली
31.9.20 की फेर र्ण

31.9.20

पमावली फेर वकीठ वादी एवं अलिठवादी
नंठ। तमा गवाह वपणं भीगा एवं काल.
लाल उपस्थित र्ण उपस्थित पसकारे

पमा लुकां
गणेश
वपरेगतीगा

तारीख


हुकम

द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया।
 जिलावादी नं० 1 गौरी का व्यक्ति
 गल तौर पर सुना गया जिलावादी
 का कथन है, कि वादी उलका सगा
 भाई ही है बालों में वादी का सही
 नाम है, तथा एक खाले में वादी का
 नाम कालू के स्थान पर बालू लिखा
 दिया है, जो गलत ही हम ही ही
 भाई ही बालू नाम वाला मैं
 कोई भाई नहीं है।

बजरंगलाल, गौरी एवं गालुनाथ तीनों
 के शपथ-पत्रों में यही तथ्य उक्त है
 है, कि ग्राम खालड़ा कला श्री श्रीमि लखन
 नं० 132, 135, 146, 154, 155 पर गौरी के
 साथ हिस्सा 1/2 में बालू पुत्र मामल
 गलत कर ही कालू पुत्र मामल
 होना चाहिये।

उक्त में तीन मकदमा जमावदी
 पैर भी गये हैं, ग्राम खालड़ा की
 श्रीमि खेत 2072-75 खाला 0 26 व 31
 पर कालू पुत्र मामल अंकित है।

| दिख क्रम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|--|
| | <p>जबकि ग्राम सालेड़ा कानों की बूकिया बालू पुम आसल दर्ज कर दिया गया थी</p> <p>वाकाल बूकिया के विस्तर 1/2 क सहायकेवाए गोश्रा की यह स्वीकारेगि है, कि उसके बालू नामका कोई भाई नहीं है। वह समय तथा काल दोनों ही भाई है। कालू का नाम बालू गणव दर्ज कर दिया है।</p> <p>साबिक खसरा नम्बर 76, 77, 88, 96, 97, 98 पर गोश्रा, कालू पिता आसल है। अंकित है साबिक उक्त खसरा नम्बर के बाद बन्दोबस्त नवीन खसरा नम्बर हम पूर्व मिनान 132, 135, 146, 154 155 बने है। जिस पर कालू का भुरिपूर्व बालू दर्ज कर दिया है।</p> <p>अतः सहायके के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित जरीत होता है। वर्ष की साबिक एवं हाल रिपोर्ट के मिनान से रिपोर्ट में भुरि कालू किया जाना प्रमाणित है।</p> <p>अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना यह आदेश दिया जाता है, कि माल माल</p> | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहका हुक्म में : |
|----------------|---|---------------------------------|
| | <p> खालेडाकलां श्री कृषि खसप नम्बर 132, 135, 146, 154, 155 पर स वालु पुव भामल क रूयान पर कालू पुव भामल शुद्ध किया जावै/ रिफार्ड में अमल सुमड र्ण तदनुसार डिफ्री मुक्ति र्ण पत्रावली नम्बर 6 क्रम र्ण निर्दिष्ट में गठना श्री जाकर अविष्ट लेख बण्डा र्ण निर्णय आज दिनांक 31.07.2020 को मेटे जाय लिखाया जाकर सई इजनास सुनाय </p> <p style="text-align: right;">  (चिन्नलाल मीणा) सचिव सचयंजमण्ड </p> | |

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~कतई~~

(अंडर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीबानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
इजलास चिमनलाल मीठा (R.A.S.)

बनाम शालूलाल
दावा बाबत 88.89.188 R.A.C. 1955

मुकद्दमा नं. 63 सन् 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-रु चिमनलाल मीठा (R.A.S.)

हाजरी श्री चंदनगुला एस. मिनजानिब मुद्दई व ✓

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वारी खीका किया जाऊ यह आदेश दिया जाता है, कि माल मीठा सालेडाकल की 2 मि वॉन 132, 135, 141, 154, 155 पर से बालू पुत्र मामल के स्थान पर कालू पुत्र मामल मुद्द किया जावे रिकार्ड में अम 0 राम 5

बीज ✓ मुबालग ✓ बाबत ✓
खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह ✓ फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख बसूलयाबी तक ✓ को अदा करे।

बसंत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 07 2020
को जारी की गई।

महर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
मोहदा रामगंजमण्डी

| मुद्दई | रुपया | पं. | मुद्दायलाह | रुपया | पं. |
|---------------------|-------|-----|---------------------|-------|-----|
| स्टाम्प अर्जी वा | 2 | - | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 | - | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सूबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुकमनामा | | |
| बाबत इजराय हुकमनामा | | | मुतफरिफ | | |
| मुतफरिफ | 22 | - | | | |
| मीजान.... | 26 | - | मीजान ... | | |

नोट:- इस खर्चे के काम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो. 139-2006-1;00,000 काम

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी